

उत्तर प्रदेश सरकार
वित्त विभाग
वित्त वेतनमान (नियमावली एवं विधि) प्रकोष्ठ

संख्या वि०वे०नि० (प्रकोष्ठ)-97 / दत्त-2014-11-2018
लखनऊ, 06 जून, 2014

दिनांक 06 जून, 2014 को प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग आशुलिपिक संघर्ष सेवा नियमावली, 2014 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4-प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।
- 5-प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश शासन।
- 6-सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 7-सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 8-सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 9-मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्यमंत्री जी।
- 10-निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 11-वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 12-महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा सं,
अजय अग्रवाल,
सचिव।



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 06 जून, 2014
ज्येष्ठ 16, 1936 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
वित्त विभाग
(नियमावली एवं विधि प्रकोष्ठ)

संख्या-वि०वे०नि०(प्रकोष्ठ)/९७-दस-२०१४
लखनऊ, ०६ जून, २०१४

अधिसूचना
प्रकीर्ण

सा०प०नि०-५२

सविज्ञान के अनुच्छेद ३०९ के मरन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों को अधिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग आशुलिपिक संवर्ग सेवा में भर्ती और इसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग आशुलिपिक संवर्ग सेवा नियमावली, २०१४

भाग-एक-सामान्य

१-(१) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग आशुलिपिक संवर्ग सेवा नियमावली, २०१४ कही जायेगी।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(२) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

२-किसी सरकारी विभाग में आशुलिपिक संवर्ग में सनूह "ख" और सनूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।

सेवा की प्रास्थिति

नियमावली का लागू
होना:

3-यह नियमावली, उत्तर प्रदेश सचिवालय, राज्य विधानमण्डल के कार्यालयों लोक आयुक्त, लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के नियंत्रण और पर्यवेक्षणधीन अधीनस्थ न्यायालयों, महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश और महाधिवक्ता के नियंत्रणाधीन अधिकाताओं को छोड़कर सरकारी विभागों में आशुलिपिक संवर्ग के पदों पर लागू होगी।

अध्यासही प्रभाव

4-यह नियमावली, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनायी गयी किसी अन्य नियमावली या तत्तनय प्रवृत्त आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होगी।

परिभाषाएँ

5-जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :-

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है;

(ख) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य किसी सरकारी विभाग में आशुलिपिक सेवा संवर्ग के किसी पद पर, यथास्थिति, चुसंगत सेवा नियमावली या कार्यपालक अनुदेशों के अधीन नियुक्त करने हेतु सशक्त प्राधिकारी से है;

(ग) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये;

(घ) 'संविधान' का तात्पर्य भारत का संविधान से है;

(ङ) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(च) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(ज) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

(झ) 'नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों' का तात्पर्य सनय-सनय पर यथासंशोधित अधिनियम की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ञ) 'सेवा' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग आशुलिपिक संवर्ग सेवा से है;

(ट) 'मौलिक नियुक्ति' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो, तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्तनय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;

(ठ) 'भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य किसी कैलेंडर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग-दो-संवर्ग

सेवा का संवर्ग

6-(1) किसी सरकारी विभाग में सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा सनय-सनय पर अवधारित की जाए।

(2) जब तक कि उप नियम(1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सरकारी विभाग में सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-2056/दस-54(एन)-2008 टी0सी0, दिनांक 08 सितम्बर, 2010 में अन्तर्विष्ट दिनिश्चयों के अनुसरण में सन्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा जारी सरकारी आदेशों में दी गयी है:-

परन्तु यह कि :-

(क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकार का हकदार न होगा;

(ख) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों को सजित कर सकते हैं जैसा वह उचित समझे।

भाग-तीन-भर्ती

7-सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित शर्तों से की जायेगी :-

भर्ती का काम

(1) आशुलिपिक : सीधी भर्ती द्वारा।

(2) वैयक्तिक सहायक श्रेणी-2 : मौलिक रूप से नियुक्त आशुलिपिकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रधान दिवस को इस रूप में आठ वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(3) वैयक्तिक सहायक श्रेणी-1 : मौलिक रूप से नियुक्त वैयक्तिक सहायक श्रेणी-2 में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रधान दिवस को आशुलिपिक संवर्ग के कुल पन्द्रह वर्षों की सेवा और वैयक्तिक सहायक श्रेणी-2 के पद पर पाँच वर्षों की मौलिक सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

8-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

आरक्षण

भाग-चार-अर्हतायें

9-सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :-

राष्ट्रीयता

(क) भारत का नागरिक हो, या;

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत में आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ़ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रव्रजन किया हो;

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी:-ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके नामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु जिसने न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्त रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

10-सेवा में आशुलिपिक के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी को निम्नलिखित शैक्षिक अर्हतायें अर्हताएं होनी आवश्यक हैं:-

(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो।

(2) हिन्दी आशुलेखन और हिन्दी टंकण में क्रमशः 80 प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है।

(3) डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 सासाइटी द्वारा संचालित सी0सी0सी0 पाठ्यक्रम अवश्य उत्तीर्ण की हो,

या

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कम्प्यूटर पाठ्यक्रम या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर पाठ्यक्रम अवश्य उत्तीर्ण की हो।

अधिनानी अर्हता

11-अन्य बातों के संनान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने-

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या
(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

आयु

12-सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिये रिक्तियां प्रकाशित की जायें, पहली जुलाई को क्रमशः 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो।

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र

13-सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी: संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

14-सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी हो।

परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता

15-किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फाइनेरियल हेण्डबुक, खण्ड-दो भाग-तीन के अध्याय-तीन में दिये गये फण्डामेंटल रूल, 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे।

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गए अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

भाग पांच-भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का
अवधारण

16-नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के साथ-साथ नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां निम्नानुसार अधिसूचित की जायेंगी:-

(1) व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार-पत्र में विज्ञापन जारी करके।

(2) कार्यालय के सूचना पट पर सूचना चिपका करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार-पत्रों के माध्यम से विज्ञापन के द्वारा।

(3) सेवायोजन कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके।

आशुलिपिक के
पद हेतु सीधी
भर्ती की प्रक्रिया

17-सेवा में आशुलिपिक के पद पर सीधी भर्ती समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) के समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2002 के अनुसरण में की जायेगी।

18-(1) सेवा में वैयक्तिक सहायक श्रेणी-2 और वैयक्तिक सहायक श्रेणी-1 के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर लिये नियमावली, 1992 के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड नियमावली, 1994 में दिये गये मानदण्डों के आधार पर की जायेगी।

वैयक्तिक सहायक श्रेणी-2 और वैयक्तिक सहायक श्रेणी-1 के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों हेतु विभागीय पदोन्नति समिति का गठन नियमावली, 1992 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी चयन समिति निम्नवत् गठित की जायेगी :-

(एक)	नियुक्ति प्राधिकारी	अध्यक्ष
(दो)	पद, जिस पर चयन किया जाना है, की पर्यवेक्षकीय हैसियत रखने वाले दो राजपत्रित अधिकारी जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य

टिप्पणी :- चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों को प्रतिनिधित्व देने के लिये नाम निर्देशन, समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम की धारा 7 के अधीन किये गये आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयन/पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियाँ तैयार करेगा और उसे उसकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जाय, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में जैसी उस संवर्ग में हो जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग-छ: नियुक्ति, परीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

19-(1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे नियुक्ति यथास्थिति, नियम 17 या 18 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियाँ करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाय तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, उसी ज्येष्ठता के क्रम में किया जायेगा जैसी यथास्थिति, चयन में अवधारित किया गया हो, या जैसी कि उस संवर्ग में हो जिसमें उन्हें पदोन्नत किया गया हो।

20-(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ायी जाय।

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्त प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकारी न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप नियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्त प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण

21-(1) उपनियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा।

यदि-

(क) उसका कार्य और आचरण सतोषजनक बताया जाय,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(ग) नियुक्त प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

(2) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबंधों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहाँ उस नियमावली के नियम-5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश को कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता

22-सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग-सात-वेतन इत्यादि

वेतनमान

23-(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जायेगा।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान नीचे दिये गये हैं :-

क्रम संख्या	पद का नाम	वेतनमान
(1)	आशुलिपिक	वेतन बैंड-1 (रुपया 5200-20200)
(2)	वैयक्तिक सहायक श्रेणी-2	वेतन बैंड-2 (रुपया 9300-34800)
(3)	वैयक्तिक सहायक श्रेणी-1	वेतन बैंड-2 (रुपया 9300-34800)

24-फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, जहाँ विभागीय परीक्षा प्राविधानित हो, उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परिवीक्षा अवधि में वेतन

परन्तु यह कि यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक की नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा।

परन्तु यह कि यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक की नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग-आठ अन्य उपबन्ध

25-किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्त के लिये अनर्ह कर देगा।

पक्ष समर्थन

26-ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

अन्य विषयों का विनियमन

27-जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती है वहाँ उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकता है।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

28-इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण व अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित है।

व्यावृत्ति

आज्ञा से,
अजय अग्रवाल,
सचिव।

उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 6 जून, 2014

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 97/X-2014-11/2013 Dated June 06, 2014:

No. 97/X-2014-11/2013

Dated Lucknow, June 06, 2014

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and the conditions of service of persons appointed to the Uttar Pradesh Government Department Stenographer Cadre Service:

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT DEPARTMENT STENOGRAPHER CADRE SERVICE
RULES, 2014
PART-I GENERAL

1. (1) These rules may be called 'The Uttar Pradesh Government Department Stenographer Cadre Service Rules, 2014'.

(2) They shall come into force at once.

2. The Stenographer Cadre Service in a Government Department comprises Group 'B' and Group 'C' posts.

3. These rules shall apply to the posts of Stenographer cadre in a Government Department under the rule-making power of the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution excluding the Uttar Pradesh Secretariat, of the offices of the State Legislature, Lok Ayukta, Public Service Commission, High Court, the Subordinate Courts under the control and superintendence of the High Court, the Advocate General, Uttar Pradesh and of the establishments under the control of Advocate General.

4. These rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other rules made by the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution, or orders, for the time being in force.

5. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:

(a) 'Act' means the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994;

(b) 'appointing authority' means an authority empowered to make appointment to a post of the Stenographer Cadre Service in a Government Department under relevant service rules or executive instructions, as the case may be;

(c) 'citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution;

(d) 'Constitution' means the Constitution of India;

(e) 'Government' means the State Government of Uttar Pradesh;

(f) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh;

(g) 'member of the service' means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the Service;

(h) 'other backward classes of citizens' means the backward classes of citizens specified in Schedule I of the Act as amended from time to time;

(i) 'service' means the Uttar Pradesh Government Department Stenographer Cadre Service;

(j) 'substantive appointment' means an appointment, not being an *ad hoc* appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;

Short title and commencement

Status of the service

Application of these rules

Overriding effect

Definitions

(k) 'year of recruitment' means, a period of twelve months commencing on the first day of July of a calendar year.

PART-II CADRE

6 (1) The strength of the service and of each category of posts therein in a Government Department shall be as such as may be determined by the Government from time to time. Cadre of service

(2) The strength of the service and of each category of posts therein in a Government Department shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as given in the Government Orders issued by the concerned Administrative Department in accordance with the decisions contained in the Government order No. Va.Aa-2-2056/Ten-54(M)/2008T.C. Dated September 08, 2010: Provided that:—

- (i) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation; or
- (ii) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

PART-III RECRUITMENT

7-Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources:—

Source of recruitment

(1) Stanographer	By direct recruitment.
(2) Personal Assistant Grade-2	By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Stenographers who have completed eight years service as such on the first day of the year of recruitment.
(3) Personal Assistant Grade-1	By promotion through the Selection Committee from amongst such substantively appointed Personal Assistants Grade-2 who have completed a total fifteen years service in the Stenographer Cadre and have completed five years substantive service on the post of Personal Assistant Grade-2 on the first day of the year of recruitment.

8-Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the Act, and the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex Servicemen) Act, 1993, as amended from time to time, and the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

Reservation

PART-IV QUALIFICATIONS

9-A candidate for direct recruitment to a post in the service must be:

Nationality

- (a) a citizen of India; or
- (b) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or
- (c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government.

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh :

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

NOTE— A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has *neither* been issued *nor* refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

10. A candidate for direct recruitment to the post of Stenographer in the service must possess the following qualifications :

(i) Must have passed the Intermediate Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an Examination recognised by the Government as equivalent thereto.

(ii) Must possess a minimum speed of eighty words per minute and twenty five words per minute in Hindi Shorthand and Hindi Typewriting respectively.

(iii) Must have passed the 'CCC' course conducted by the DOEACC Society,

or

Must have passed the Computer Course conducted by the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or a Computer Course recognised by the Government as equivalent thereto.

11. A candidate who has:

(i) served in the Territorial Army for a minimum period of two years,

or

(ii) obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps,

shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

12. A candidate for direct recruitment must have attained the age of eighteen years and must not have attained the age of more than forty years on the first day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised.

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

13. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.

NOTE— Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

14. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the service:

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

15. No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to produce a Medical Certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental rule 10, contained in chapter III of the Financial Hand-Book, Volume II, Part III.

Academic
Qualification

Preferential
qualification

Age

Character

Marital Status

Physical fitness

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

PART-V-PROCEDURE FOR RECRUITMENT

16. The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 8. The vacancies to be filled by direct recruitment shall be notified in the following manner:

Determination of vacancies

- (i) by issuing advertisement in daily newspaper having wide circulation;
- (ii) by pasting the notice on the board of the office or by advertising through Radio/Television and other employment news papers; and
- (iii) by notifying vacancies to the Employment Exchange.

17. Direct recruitment to the post of Stenographer in the Service shall be made in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Procedure for Direct Recruitment for Group 'C' Post (Outside the Purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission) Rules, 2002, as amended from time to time.

Procedure for direct recruitment for the post of Stenographer

18. (1) Recruitment by promotion to the posts of Personal Assistant Grade-2 and Personal Assistant Grade-1 in the service shall be made on the basis of the criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994, as amended from time to time, Notwithstanding anything to the contrary contained in The Uttar Pradesh constitution of Departmental Promotion Committee for posts outside the Purview of the Service Commission Rules, 1992, the Selection Committee shall be constituted as under :-

Procedure for recruitment by promotion for the posts of Personal Assistant Grade-2 and Personal Assistant Grade-1

(i) Appointing Authority	Chairman
(ii) Two gazetted officers nominated by the Appointing Authority, have supervisory capacity of the post of which selection is made	Members.

NOTE: Nomination of officers for giving representation to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of Citizens in the Selection Committee shall be made in accordance with the order made under section 7 of the Act, as amended from time to time.

(2) The appointing authority shall prepare eligibility list of the candidates in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on posts outside the purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 1986, as amended from time to time, and place the same before the Selection Committee alongwith their character rolls and such other records, pertaining to them, as may be considered proper.

(3) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of records, referred to in sub-rule (2) and, if it considers necessary, it may interview the candidates also.

(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates in order of seniority as it stood in the cadre from which they are to be promoted and forward the same to the appointing authority.

PART-VI-APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

19 (1) The appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rules, 17 or 18, as the case may be.

Appointment

(2) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or, as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted.

Probation

20.(1) A person on substantive appointment, to a post in the service shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the extension is granted:

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstance beyond two years.

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Confirmation

12. (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if—

(a) his work and conduct is reported to be satisfactory;

(b) his integrity is certified, and

(c) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

(2) Where, in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh State Government Servants Confirmation Rules, 1991 confirmation is not necessary, the order under sub-rule (3) of rule 5 of those rules declaring that the person concerned has successfully completed the probation, shall be deemed to be the order of confirmation.

Seniority

22. The seniority of persons substantively appointed in any category of post in the service shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991, as amended from time to time.

PART-VII-PAY ETC

Scales of pay

23. (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules are given as follows:

Name of post	Scale of pay	
	Pay Band	Grade Pay
(1) Stenographer	Pay Band-1, Rs. 5200-20200	Rs. 2800
(2) Personal Assistant Grade-2	Pay Band-2, Rs. 9300-34800	Rs. 4200
(3) Personal Assistant Grade-1	Pay Band-2, Rs. 9300-34800	Rs. 4600

24. (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a Pay during probation